WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248543
CG-DL-E-05092023-248543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3732] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2023/भाद्र 13, 1945
No. 3732] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2023/BHADRA 13, 1945

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

**का.आ. 3893(अ).—**भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा सभी रबड़ और सभी पॉलीमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

**1.** (1) इस आदेश को सभी रबड़ और सभी पॉलीमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 कहा जाए।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

**2.** सभी रबड़ और सभी पॉलीमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 में पैरा 2 में दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, नामत: -

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



**"बशर्ते कि सभी रबड़ और सभी पॉलीमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 की शुरुआत के बाद, निर्यात के लिए भारत में फुटवियर के विनिर्माण में प्रयुक्त निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सामान आयात पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा।"**

**तालिका**

| क्र.सं. | वस्तुएं अथवा सामान (घटक) | भारतीय मानक | भारतीय मानक का शीर्षक |
|---|---|---|---|
| 3 | मोल्डिड सॉलिड रबड़ सोल और हील्स | आईएस 5676:1995 | मोल्डिड सॉलिड रबड़ सोल और हील्स - विशेषताएं |
| 4 | सोल और हील के लिए रबड़ माइक्रोसेल्युलर शीट्स | आईएस 6664:1992 | सोल और हील के लिए रबड़ माइक्रोसेल्युलर शीट्स - विशेषताएं |
| 5 | सोलिड पीवीसी सोल और हील्स | आईएस 6719:1972 | सोलिड पीवीसी सोल और हील्स के लिए विशेषताएं |
| 10 | पॉयूरेथेन सोल, सेमी रिजिड | आईएस 13893:1994 | पॉयूरेथेन सोल, सेमी रिजिड - विशेषताएं |

बशर्ते यह भी कि आयातक आयात मंजूरी वाले फुटवियर सोल की आयात खेप के आने से पहले सीमा शुल्क में निम्नलिखित तारीके से चमड़ा निर्यात परिषद् द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा, नामत: -

i. आयातक द्वारा यह स्व-घोषणा कि आयातित फुटवियर सोल का इस्तेमाल निर्यात के लिए फुटवियर के उत्पादन अथवा फुटवियर के हिस्सों को जोड़ने में किया जाएगा तथा भारत के घरेलू बाजार में बेचने के लिए नहीं किया जाएगा।

ii. स्व-घोषणा, आयातक के पत्रशीर्ष (लेटर हेड) पर दी जाएगी जिसमें इनवॉइस नंबर और आयात खेप के अन्य संगत ब्यौरे विधिवत् रूप से उल्लिखित होंगे तथा यह उल्लेख होगा कि आयातित मद निर्यात के प्रयोजन के लिए फुटवियर के विनिर्माण के अलावा घरेलू बाजार में किसी अन्य कार्य के लिए अथवा बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी तथा कंपनी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणन अथवा भविष्य में लेखा परीक्षा के लिए अपने आंतरिक रिकॉर्ड का रखरखाव करेगी।

iii. चमड़ा निर्यात परिषद् द्वारा सत्यापन कि आयातक परिषद् में पंजीकृत एक विनिर्माता निर्यात है जिसमें (क) वर्तमान में वैध पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने की तारीख, (ख) उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या और तारीख अथवा औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन संख्या और तारीख, (ग) गृह उपभोग संख्या के लिए प्रवेश का बिल और तारीख जिसे आयात मंजूरी हेतु भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम में दायर किया गया है, का उल्लेख हो; और

iv. फुटवियर सोल की सुगम सीमा शुल्क मंजूरी के लिए, आयातक को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज पोर्टल पर उपर्युक्त दस्तावेज और अन्य संगत दस्तावेज अपलोड करने होंगे।"

[फा.सं. पी-27025/54/2023-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

**नोट** – मुख्य आदेश सां.आ. 2600(अ) दिनांक 3 जून, 2022 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप- धारा (ii) में प्रकाशित किया गया था।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)**

**ORDER**

New Delhi, the 1st September, 2023

**S.O. 3893(E).—**In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Footwear Made from all Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) order, 2022, namely:-

1. (1) This Order may be called the Footwear Made from all Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Footwear Made from all Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Amendment Order, 2022, in paragraph 2 after the second proviso, the following proviso shall be inserted namely: -

"Provided further that nothing in this Order shall apply, after the commencement of the Footwear Made from all Rubber and all Polymeric Material and its components (Quality Control) Amendment Order, 2023, to import of goods or articles specified in the Table below used in manufacturing of footwear in India for export only, namely: -

**TABLE**

| S. No. | Goods or Articles (Components) | Indian Standard | Title of Indian Standards |
|---|---|---|---|
| **3** | Moulded solid rubber soles and heels | IS 5676:1995 | Moulded solid rubber soles and heels – specification |
| **4** | Rubber microcellular sheets for soles and heels | IS 6664:1992 | Rubber microcellular sheets for soles and heels – specification |
| **5** | Solid PVC soles and heels | IS 6719:1972 | Specification for solid PVC soles and heels |
| **10** | Polyurethane sole, semi rigid | IS 13893:1994 | Polyurethane sole, semi rigid – specification |

Provided also that the importer shall furnish a self declaration certified by the Council for Leather Exports before the import consignments of footwear soles given import clearance at the customs in the following manner, namely:-

i. self-declaration by the importer that the footwear soles imported are meant for production or assembly of footwear for exports and not for sale in the domestic market of India;

ii. the self-declaration will be in the Letter Head of the importer duly mentioning the Invoice Number and other relevant details of the import consignment and mentioning that the imported items shall not be put to any other use or sold in the domestic market except in the manufacture of footwear for the purpose of exports and the company will maintain its internal records for any future verification or audit by concerned authorities;

iii. certification by the Council for Leather Exports that the importer is a manufacturer exporter registered with the Council by quoting (a) currently valid Registration-cum-Membership Certificate number and date of issue; (b) Udyam Registration Certificate Number and date; (c) Bill of Entry for home consumption number and date which is filed in the Indian Customs Electronic Data Interchange system for import clearance; and

iv. the importers must upload the above documents along with other relevant documents in the Indian Customs Electronic Data Interchange portal, for smooth customs clearance of the footwear soles.

[F. No. P-27025/54/2023-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

**Note:-** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 2600(E), dated 3rd June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.